झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–453 वर्ष 2017

राणा सुरेश सिंह, पे0–स्वर्गीय पारे सिंह, निवासी–झुमरी तिलैया, डाकघर एवं थाना–झुमरी तिलैया, जिला–कोडरमा .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. सचिव, मानव संसाधन विभाग, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची

3. निदेशक, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विभाग, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची

4. कुलपति, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, डाकघर, थाना एवं जिला–हजारीबाग

5. रजिस्ट्रार, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, डाकघर, थाना एवं जिला–हजारीबाग

6. प्रधानाध्यापक, जे0जे0 महाविद्यालय, झुमरी तिलैया, डाकघर एवं थाना–झुमरी तिलैया, जिला–कोडरमा .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री गौतम कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिएः– प्रेम पुजारी रॉय, जीपी–IV का जे0सी0

वी0बी0 विश्वविद्यालय के लिएः– श्री मिथिलेश सिंह, अधिवक्ता

4 / 21.08.2017 रिट याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति जताते हुए, श्री मिथिलेश सिंह, विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्त्ता की शिकायत को तत्काल रिट याचिका में न्यायनिर्णयन नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्त्ता 31.01.2009 को सेवा से पहले ही सेवानिवृत हो चुका है और अब उसने अपनी नियुक्ति की तारीख और उचित वेतनमान देने के संबंध में एक शिकायत उठाई है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्त्ता, हालांकि डब्ल्यू0पी0 (एस) सं0–3375 / 2016 (दुखू राम कुरी बनाम झारखण्ड राज्य और अन्य) और बैच मामलों में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकता है।

प्रतिवादी विनोबा भावे विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई आपत्ति में गुणागुण पाते हुए, रिट याचिका का निपटारा याचिकाकर्त्ता को निर्विवाद साक्ष्य द्वारा समर्थित एक उपयुक्त आवेदन दायर करके प्रतिवादी विश्वविद्यालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ किया जाता है,जो दुखू राम कुरी मामले में पारित इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित समिति द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के संदर्भ में तय किया जाएगा।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)